

राजस्व मुकदमा नम्बर - 53/2019

सरकार जरिये पटवारी हल्का लसाडिया

बनाम

श्री लाला पुत्र कालू जाति-मेहरात निवासी-लसानी प्रथम

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 30/10/19

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-लसानी प्रथम, पटवार मण्डल-लसाडिया, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 898 कुल रकबा 14-05-00 किस्म-दांती में से रकबा 01-00-00 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्री लाला पुत्र कालू जाति-मेहरात निवासी-लसानी प्रथम ने अवैध रूप से बाजरे की फसल काशत कर अतिचार करने पर पटवारी हल्का लसाडिया ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम-लसानी प्रथम की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 898 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से बाजरे की फसल काशत कर रकबे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कब्जे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जब्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 0.30 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी /भू.अभिलेख निरीक्षक को कब्जा/वेदखली/ ध्वस्त कार्यवाही/जल्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।



तहसीलदार, ब्यावर

